भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 635

उत्तर देने की तारीख 06.02.2025

जनजातीय समुदायों के लिए नई परियोजनाएं/योजनाएं

635. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दस वर्षों के दौरान देश में जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार कितनी है;

(ग) क्या ऐसे कोई राज्य/संघ राज्यक्षेत्र हैं, जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान नई योजनाओं/परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जनजातीय समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के न्यायसंगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ड.) 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम जनमन के तहत कवर किए गए गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाने के लिए पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह करने का कार्य किया है। एकत्रित आंकड़ों (31.01.2025 तक) के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार पीवीटीजी जनसंख्या **अनुलग्नक-I** में सारणीबद्ध की गई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) का कुल बजटीय परिव्यय 2025-26 तक 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹15336 करोड़ और राज्य हिस्सा:

₹8768 करोड़) है। पीएम जनमन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और मंत्रालय-वार स्वीकृत निधियां **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 50% जनजातीय आबादी और 500 अजजा वाले 36,428 पात्र गांवों के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत प्रति गांव 20.38 लाख रुपये (36,428 गांवों के लिए 7276 करोड़ रुपये) की राशि निर्धारित की गई थी और राज्यों को क्षेत्रीय केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और राज्य सरकार के पास उपलब्ध केंद्रीय एसटीसी (अनुसूचित जनजाति घटक) और राज्य टीएसपी (जनजातीय उपयोजना) निधियों के अभिसरण के साथ ग्राम विकास योजना बनाना आवश्यक था। वीडीपी में, प्रत्येक चयनित गांव में अंत्योदय मिशन के माध्यम से पहचानी गई बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क संपर्क, दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट), स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल और बिजली के संबंध में अंतरों को दूर करना उद्देश्य था। पीएम जनमन की सफलता से प्राप्त जानकारी के आधार पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) शुरू किया गया है, जो संबंधित मंत्रालयों और राज्य विभागों की निधियों के समर्पित अभिसरण और प्रमुख उपायों की संतृप्ति के साथ पीएमएएजीवाई का अधिक संरचित और विस्तारित संस्करण है। इस मिशन के शुरू होने से, पीएमएएजीवाई के तहत जो अंतरों को दूर करने के लिए उपाय नहीं हो पाये थे, उन उपायों को डीए-जेजीयूए के तहत निष्पादित किया जाना संभव हो गया है। पीएमएएजीवाई योजना के अंतर्गत कवर किए गए गांव, अनुमोदित ग्राम विकास योजना (वीडीपी) और 2021-22 से 2024-25 के दौरान जारी की गई निधियां तथा प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को संतृप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। प्रत्येक संबंधित मंत्रालय को अभियान के तहत बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और वह उसे सौंपे गए उपाय को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अभियान का उद्देश्य अभिसरण और आउटरीच के माध्यम से संतृप्ति प्राप्त करना है। इस अभियान के तहत अजजा आबादी के साथ-साथ जिलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कवरेज **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है। अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये है (केन्द्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये)। अभियान के अंतर्गत, संशोधित अनुमान 2024-25 का ब्यौरा, मंत्रालय-वार, **अनुलग्नक-v** में दिया गया है। चूंकि अभियान हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5.83 लाख आवासों को मंजूरी दी है, जिनमें से 4,198 आवास पूरे हो चुके हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 36 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) तैनात की हैं, शिक्षा मंत्रालय ने 304 स्कूल छात्रावासों को मंजूरी दी है, दूरसंचार विभाग ने 889 गांवों को कवर करते हुए 792 टावर स्थापित किए हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 4 राज्यों के 1,73,097 लाभार्थियों को लाभान्वित करने वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और जनजातीय मंत्रालय ने 41 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (टीएमएमसी), आश्रम स्कूलों/सरकारी के उन्नयन के लिए 2,426 परियोजनाएं, 9 राज्यों में एफआरए सेल और एससीडी के लिए 15 क्षमता केंद्र (सीओसी) को मंजूरी दे दी है।

तथापि, इन अभियानों के अंतर्गत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की वास्तविक संख्या अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशानिर्देशों की पात्रता मानदंडों के अधीन है।

सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) (2018-19) की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले (जनगणना 2011 के अनुसार) प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। अनुच्छेद 275(1) (2018 से पहले) के तहत स्वीकृत 288 स्कूलों के साथ, मंत्रालय ने देश भर में कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आज तक, 718 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 476 ईएमआरएस क्रियाशील हैं, जिनसे 136511 लाख छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए नामांकन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-VI** में है। मंत्रालय एनईएसटीएस को निधियां निर्मुक्त करता है और एनईएसटीएस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निर्माण एजेंसियों/राज्य समितियों को ईएमआरएस के निर्माण और स्कूलों के संचालन हेतु आवर्ती लागत के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निधियां निर्मुक्त करता है। ईएमआरएस योजना के तहत वर्ष-वार (आज तक) निधि आवंटन और निर्मुक्त की गई धनराशि निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	निधि आवंटन	निर्मुक्त निधि
2019-20	1622.00	1621.00
2020-21	120000.00	119995.00
2021-22	105774.00	105774.00
2022-23	200000.00	199998.20
2023-24	247181.00	244761.00
2024-25	474892.00	411276.00

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दो पूर्व योजनाओं - "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" और "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन" को विलय करके प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) की शुरुआत की, जिसका जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 1612.27 करोड़ रुपये है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) इस योजना की केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है। पीएमजेवीएम के तहत, ट्राइफेड राज्य सरकारों को लघु वनोपज (एमएफपी) की खरीद और भंडारण गोदामों और हाट बाजारों जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए परिक्रामी निधियां प्रदान करता है। इस योजना में वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना का भी प्रावधान है जो एमएफपी और गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। अब तक 319.66 करोड़ रुपए की राशि के परिक्रामी निधियों के रूप में जारी किए गए हैं, 89.16 करोड़ रुपए बुनियादी सुविधाओं

के निर्माण के लिए जारी किए गए हैं और 587.36 करोड़ रुपए वीडीवीके की स्थापना के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इनका राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-VII** में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2024 को 50.00 करोड़ रुपये की कुल राशि के साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष शुरू किया है। अब तक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से एक-एक एसटी उद्यमियों को 8.41 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

संबंधित योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करना एक सतत प्रक्रिया है और मंत्रालय योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से समन्वय कर रहा है। राज्य सरकारों के समन्वय से आईईसी शिविरों का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों की तैयारी में सुविधा प्रदान करना था, जो संबंधित योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

अनुलग्नक-I

"जनजातीय समुदायों के लिए नई परियोजनाएं/योजनाएं" के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन / विभाग द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन आधारित आवास सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी जनसंख्या (31.01.2025 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पीवीटीजी जनसंख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	191
2	आंध्र प्रदेश	493932
3	बिहार	8839
4	छत्तीसगढ़	229743
5	गुजरात	153516
6	झारखंड	398260
7	कर्नाटक	57067
8	केरल	29511
9	मध्य प्रदेश	1228606
10	महाराष्ट्र	621046
11	मणिपुर	44694
12	ओडिशा	298441
13	राजस्थान	128456
14	तमिलनाडु	364846
15	तेलंगाना	63194
16	त्रिपुरा	273240
17	उत्तर प्रदेश	3527
18	उत्तराखंड	92233
19	पश्चिम बंगाल	67431
कुल योग		**4556773**

अनुलग्नक-II

"जनजातीय समुदायों के लिए नई परियोजनाएं/योजनाएं" के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, मंत्रालय-वार पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि (14.01.2025 तक)*

(निधि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)	शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)	एमओपी (आरडीएसएस)	एमएनआरई	एमओसी (डीओटी-यूएसओएफ)	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
										एमपीसी	वीडीवीके
1	आंध्र प्रदेश	44.33	280.53	40.31	43.44	18.85	88.71	8.38	94.5	14.97	3.105
2	छत्तीसगढ़	200.63	1698.92	19.65	32.28	68.3	38.17	6.42	21.6	8.52	1.1976
3	गुजरात	94.46	1.24	5.76	8.04	13.75	0	0	12.6	1.66	0.525
4	झारखंड	54.54	113.86	7.45	13.32	27.5	74.13	11.71	4.5	0.62	1.438
5	कर्नाटक	6.24	55.62	1.69	2.88	2.3	3.77	0.9	9	3.33	0.892
6	केरल	1.36	0.00	7.45	0.84	10.1	0.86	0	6.3	2.29	0.2166
7	मध्य प्रदेश	1575.11	836.21	25.07	111.24	117.3	143.39	10.3	18.9	25.99	2.5755
8	महाराष्ट्र	100.54	0.00	26.42	26.4	35.75	26.61	0	8.1	12.47	1.812
9	ओडिशा	263.72	149.75	16.94	14.64	82.5	0	0	13.5	24.64	1.7765
10	राजस्थान	167.68	68.86	2.03	10.8	9.2	40.34	0	0.9	3.33	4.3296
11	तमिलनाडु	31.14	0.00	35.57	5.04	14.91	29.89	0	0.9	10.09	1.2015
12	तेलंगाना	0	66.85	4.74	10.2	19.75	6.79	1.63	4.5	2.91	0.7305
13	त्रिपुरा	153.97	114.32	2.03	20.04	37.6	61.52	8.52	9	4.57	1.27

14	उत्तर प्रदेश	2.04	0.00	0.68	0.12	5.5	1.1	0	0	0.83	0.1595
15	उत्तराखंड	26.38	0.00	8.13	0.96	7.35	0.6	0	0	3.01	0.157
16	पश्चिम बंगाल	0	0.00	4.74	0	0	0	0	0	0.00	0
17	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.028
18	मणिपुर	0	0.00	0	5.04	5.5	0	0	0	0.00	0
19	बिहार	0	0.00	0	5.88	0	0.28	0	0	0.00	0
कुल योग		**2722.14**	**3386.2**	**208.66**	**311.16**	**476.16**	**516.16**	**47.86**	**204.3**	**119.24**	**21.41**

*संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

अनुलग्नक-III

"जनजातीय समुदायों के लिए नई परियोजनाएं/योजनाएं" के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएएजीवाई योजना के अंतर्गत कवर किए गए गांवों का राज्यवार विवरण, 2021-22 से 2024-25 के दौरान स्वीकृत ग्राम विकास योजना (वीडीपी) और जारी की गई निधियां तथा प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र (21.01.2025 तक)

(लाख रुपये में)

क्रम सं	राज्य का नाम	पीएमएएजीवाई के अंतर्गत कुल गांव	पीएमएएजीवाई के तहत अनुमोदित कुल वीडीपी	आज तक कुल निर्मुक्ति (2021-22 से 2024-25)	(यूसी) प्रतीक्षित
1	आंध्र प्रदेश	517	0	0	11947.05
2	अरुणाचल प्रदेश	141	0	733.68	733.68
3	असम	1700	1700	31054.81	0.00
4	बिहार	184	0	774.44	3880.44
5	छत्तीसगढ	4029	1530	38617.62	38617.62
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव	55	0	173.23	173.23
7	गोवा	21	0	0	51.99
8	गुजरात	3764	2803	35318.54	28487.79
9	हिमाचल प्रदेश	90	75	665.12	297.57
10	जम्मू और कश्मीर	302	300	932.39	932.39
11	लद्दाख	132	50	470.525	168.23
12	झारखंड	3891	641	13447.07	18327.73
13	कर्नाटक	507	370	3077.38	2253.83
14	केरल	6	6	61.19	0.00
15	मध्य प्रदेश	7307	4203	39963.3	28283.07
16	महाराष्ट्र	3605	1542	13485.5	20541.68
17	मणिपुर	254	44	723.45	809.81

18	मेघालय	836	176	3342.3	4664.83
19	मिजोरम	344	344	3511.44375	0.00
20	नगालैंड	530	530	6947.94	13.01
21	ओडिशा	1653	784	6817.3425	4739.00
22	राजस्थान	4302	1566	22494.37	19569.84
23	सिक्किम	62	62	0	82.56
24	तमिलनाडु	167	158	1426.745	307.57
25	तेलंगाना	533	428	3943.215	343.06
26	त्रिपुरा	375	344	4273.49	2158.47
27	उत्तराखंड	64	0	0	10.35
28	उत्तर प्रदेश	183	0	0	1288.74
29	पश्चिम बंगाल	874	0	3495.2	3495.20
	कुल	**36428**	**17656**	**236251.261**	**192178.74**

अनुलग्नक-IV

"जनजातीय समुदायों के लिए नई परियोजनाएं/योजनाएं" के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अजजा आबादी के साथ जिलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कवरेज

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले की संख्या	अजजा जनसंख्या
1	आंध्र प्रदेश	18	655450
2	अरुणाचल प्रदेश	23	230896
3	असम	32	2124774
4	बिहार	24	407136
5	छत्तीसगढ़	32	4909442
6	गोवा	2	34105
7	गुजरात	21	6605912
8	हिमाचल प्रदेश	10	117040
9	जम्मू और कश्मीर	20	502935
10	झारखंड	24	4976859
11	कर्नाटक	28	805566
12	केरल	4	219524
13	लद्दाख	2	155238
14	लक्षद्वीप	1	9322
15	मध्य प्रदेश	51	9323125
16	महाराष्ट्र	32	4694682
17	मणिपुर	13	629332
18	मेघालय	12	1135901
19	मिजोरम	11	400652
20	नागालैंड	16	915742
21	ओडिशा	27	4815670
22	राजस्थान	30	5537444

23	सिक्किम	6	72682
24	तमिलनाडु	16	303711
25	तेलंगाना	30	1150538
26	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	2	147290
27	त्रिपुरा	8	828393
28	उत्तर प्रदेश	26	311488
29	उत्तराखंड	7	88723
30	पश्चिम बंगाल	21	1707342
	कुल योग	**549**	**53816914**

अनुलग्नक-V

“जनजातीय समुदायों के लिए नई परियोजनाएं/योजनाएं” के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत, संशोधित अनुमान 2024-25 का ब्यौरा, मंत्रालय-वार

(निधि करोड़ रुपये में)

S. No.	मंत्रालय / विभाग	संशोधित अनुमान 2024-25
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	250.00
2	दूरसंचार विभाग	50.00
3	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	203.13
4	मत्स्यपालन विभाग	37.00
5	पशुपालन और डेयरी विभाग	3.00
6	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	171.32
7	पंचायती राज मंत्रालय	5.00
8	विधुत मंत्रालय	4.23
9	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	30.00
10	पर्यटन मंत्रालय	2.00
11	जनजातीय कार्य मंत्रालय	500.00
12	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	30.00

नोट: धनराशि का वास्तविक उपयोग योजनाबद्ध मानदंडों की पूर्ति के अधीन है

अनुलग्नक-VI

“जनजातीय समुदायों के लिए नई परियोजनाएं/योजनाएं” के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में नामांकन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	*राज्य/संघ राज्यक्षेत्र*	*कुल योग*
1	आंध्र प्रदेश	9917
2	अरुणाचल प्रदेश	734
3	छत्तीसगढ़	23805
4	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	346
5	गुजरात	11202
6	हिमाचल प्रदेश	906
7	जम्मू एवं कश्मीर	806
8	झारखंड	3266
9	कर्नाटक	4525
10	केरल	968
11	मध्य प्रदेश	24809
12	महाराष्ट्र	10045
13	मणिपुर	1440
14	मिजोरम	1902
15	नागालैंड	744
16	ओडिशा	11569
17	राजस्थान	9512
18	सिक्किम	1248
19	तमिलनाडु	2491
20	तेलंगाना	9256
21	त्रिपुरा	2078
22	उत्तर प्रदेश	890
23	उत्तराखंड	1110
24	पश्चिम बंगाल	2942
	कुल योग	136511

अनुलग्नक-VII

"जनजातीय समुदायों के लिए नई परियोजनाएं/योजनाएं" के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जारी की गई परिक्रामी निधियों का राज्यवार विवरण

क्रम सं	राज्य	**परिक्रामी निधि जारी की गई (लाख रुपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	828.75
2	असम	66.94
3	छत्तीसगढ	15,366.00
4	गुजरात	622.00
5	झारखंड	4,672.00
6	कर्नाटक	124.60
7	केरल	59.74
8	मध्य प्रदेश	3,489.00
9	महाराष्ट्र	500.00
10	मणिपुर	10.50
11	मिजोरम	91.50
12	नगालैंड	252.16
13	ओडिशा	4,991.00
14	राजस्थान	20.00
15	तमिलनाडु	228.97
16	त्रिपुरा	200.66
17	उत्तर प्रदेश	240.00
18	पश्चिम बंगाल	201.72
	कुल	**31,965.54**

जारी किए गए अवसंरचना कोष का राज्यवार विवरण

क्रम सं	राज्य	**कुल जारी राशि (लाख रुपये में)**
1	छत्तीसगढ	990.25
2	गुजरात	497.37
3	झारखंड	39
5	महाराष्ट्र	325
6	आंध्र प्रदेश	709.5
7	मध्य प्रदेश	2681.25
8	ओडिशा	820
10	पश्चिम बंगाल	455.44
11	मणिपुर	300
12	नगालैंड	65.8
13	उत्तर प्रदेश	821.25
14	केरल	357.75
16	असम	708.39
17	त्रिपुरा	114
18	तमिलनाडु	30.94
	कुल	**8915.94**

वन धन विकास केन्द्रों का राज्यवार विवरण

क्रम सं	**राज्य**	**स्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या**	**वीडीवीके लाभार्थियों की कुल संख्या**	**स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)**
1	आंध्र प्रदेश	415	123578	6,162.90
2	अरुणाचल प्रदेश	106	32897	1590
3	असम	471	143309	7065
4	छत्तीसगढ	139	41700	2085
5	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1	302	15
6	गोवा	10	3000	150
7	गुजरात	200	57968	2895.65

8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5
9	जम्मू एवं कश्मीर	100	29791	1457
10	लद्दाख	10	3000	150
11	झारखंड	146	43701	2174.7
12	कर्नाटक	140	41748	2087.4
13	केरल	44	12038	597.25
14	मध्य प्रदेश	126	37860	1890
15	महाराष्ट्र	264	79350	3960
16	मणिपुर	200	60403	2996.8
17	मेघालय	169	50835	2534.1
18	मिजोरम	259	76168	3806.55
19	नगालैंड	284	85198	4259.9
20	ओडिशा	170	50094	2479.25
21	राजस्थान	479	144803	7135.6
22	सिक्किम	80	23381	1169.05
23	तमिलनाडु	8	2400	120
24	तेलंगाना	17	5100	255
25	त्रिपुरा	57	16116	776
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95
28	पश्चिम बंगाल	22	6719	329.35
कुल		**3958**	**1183412**	**58,736.50**

****